

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहकर्ता

मार्च 4, 1998

[एम. एम. पुंची, सीजे, के. टी. थॉमस और एम. श्रीनिवासन, न्यायाधिपति]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944:

धारा 35-एल (बी) और 11-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-एक अनुपयुक्त प्रावधान के तहत - अपील दायर सी. ई. जी. ए. टी. के आदेश के खिलाफ धारा 11-ए के तहत सीमा के भीतर जारी किए गए नोटिस-ऐसी अपील जो धारा 35-एल (बी) के दायरे में नहीं आती है-हालाँकि, इसमें शामिल प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सभी कागजात उपलब्ध हैं और नौ साल से अधिक लंबा समय समाप्त हो गया है अपील दायर करने के बाद, उसी को विशेष अनुमति द्वारा माना जाता है-भारत का संविधान, अनुच्छेद 136-उत्पाद शुल्क-अभ्यास और प्रक्रिया।

सीमा की अवधि का विस्तार-उसी की व्याख्या करने का तरीका- ठहराया गया, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए- कर कानूनों की व्याख्या - उदार और सख्त गठन

धारा 11-ए (1), प्रावधान और स्पष्टीकरण-उत्पाद शुल्क की वसूली- सीमा-धारा 11-ए के तहत राजस्व द्वारा जारी सूचना-उच्च न्यायालय का

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24-9-1980 के प्रवर्तन पर रोक लगाना - कहा गया नोटिस जारी करने पर रोक लगाने के बराबर नहीं है- इस प्रकार, धारा 11 -ए (1) - सीमा - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, नियम 9 और 49 -वित्त अधिनियम, 1982, धारा 51 (2) (डी) के स्पष्टीकरण में परंतुक को आकर्षित नहीं करता है।

धारा 11-ए (3) (ii) (बी)-सूचना-जारी करने के लिए सीमा-राजस्व इस बात पर जोर देता है कि सूचना दो वैकल्पिक आधारों पर सीमा के भीतर है कि नोटिस स्पष्टीकरण द्वारा सहेजा गया था धारा 11-ए (1) की व्याख्या से और यह कि पूर्ववर्ती मूल्यांकन केवल एक अनंतिम था -सी. ई. जी. ए. टी. ने पहले को बरकरार रखते हुए असमर्थनीय ठहराया, ऐसी परिस्थितियों में, क्या राजस्व दूसरे आधार को लागू कर सकता है - ठहराया गया, सी. ई. जी. ए. टी. ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9-बी को देखते हुए मूल्यांकन अस्थायी नहीं था क्योंकि मामला विचाराधीन था और उस दौरान किए गए मूल्यांकन को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं था -एक वैकल्पिक तर्क को अपनाने का राजस्व का अधिकार इसे इसके लिए एक बिल्कुल नया आधार बनाने में सक्षम नहीं करेगा-इसलिए राजस्व की नई याचिका कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय VII-ए को देखते हुए, विचाराधीन मूल्यांकन एक अस्थायी था, संक्षेप में खारिज -केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, नियम

9-बी और 173-एफ और अध्याय VII-ए भारत का संविधान, अनुच्छेद 136-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, आदेश 41 नियम 22।

अभ्यास और प्रक्रिया -प्रतिवादी द्वारा उठाए गए नए मुद्दे- ठहराया गया, अंतिम निर्णय उनके पक्ष में होने के बावजूद आक्षेपित निर्णय को उलटने के लिए प्रचार से नहीं रोका गया है -अपीलकर्ता यह नहीं कह सकता कि केवल उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं का प्रचार किया जा सकता है-सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आदेश 41, सी. पी. सी. के नियम 22-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, आदेश 41 नियम 22 जैसे प्रावधानों के अभाव से बाधित नहीं है।

अपीलार्थी-निर्धारिती के पास एक कपड़ा मिल थी जिसमें एक विशेष प्रभाग में सूत का निर्माण किया जाता था और कपड़ा बनाने के लिए मिल में संसाधित किया जाता है। राजस्व के अनुसार, कारखाने के एक क्षेत्र से धागे को हटा दिया गया था और इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 और 49 के अनुसार उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था, चाहे कपड़े के निर्माण पर देय उत्पाद शुल्क कुछ भी हो। इसलिए विभाग ने नवंबर 1980 से दिसंबर 1981 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 11-ए के तहत दो नोटिस जारी किए। दिनांक 20-2-1982 की एक अधिसूचना में, विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 और 49 में संशोधन किया, जिससे कारखाने के भीतर मध्यस्थ

स्तर पर इनपुट वस्तुओं के "मानित निष्कासन" की कल्पना पैदा हुई। उक्त संशोधन को बाद में वित्त अधिनियम, 1982 की धारा 52 (2) (डी) में 1944 से पूर्वव्यापी रूप से शामिल किया गया था। इस संशोधन को इस न्यायालय द्वारा जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में बरकरार रखा गया था अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधान के अधीन। इस अपील में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा पहले के किसी मामले में पारित आदेश, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र दिनांक 24.9.1980 के क्रियान्वयन पर रोक लगाना, कारण बताएँ नोटिस जारी करने पर रोक लगाने के आदेश के बराबर है और इसका प्रभाव उस धारा के स्पष्टीकरण के आधार पर अधिनियम की धारा 11-ए के तहत नोटिस जारी करने की अवधि बढ़ाने का था। इस प्रश्न का उत्तर सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा सकारात्मक और निर्धारिती के खिलाफ दिया गया था। इसलिए यह अपील की गई है।

इस अदालत के सामने इससे पहले राजस्व द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों में से अदालत ने कहा कि धारा 35-एल (बी) के तहत दायर अपील विचारणीय नहीं थी क्योंकि अपील पर केवल निर्धारण के उद्देश्यों के लिए शुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण के संबंध में विचार किया जा सकता था।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय ने राजस्व की आपत्ति पर विचार किया अधिनियम की धारा 35-एल (बी) के तहत अपील की संधार्यता बाबत। इस अपील में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न का न तो शुल्क की दर से कोई संबंध है, न उत्पाद शुल्क और न ही मूल्यांकन के उद्देश्य से माल के मूल्य के लिए। यह हो सकता है कि इस मामले के तथ्यों पर उपरोक्त धारा के तहत अपील दायर नहीं की जा सकती थी। जो भी हो, न्यायालय का इरादा नहीं है इस स्तर पर उस तकनीकी आधार पर इस अपील को खारिज कर दें क्योंकि अपीलार्थी उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति की मांग कर सकता था। इस अपील में शामिल प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सभी कागजात उपलब्ध होने के कारण, अपीलार्थी को उस उद्देश्य के लिए एक और विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए प्रेरित करना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से, क्योंकि इस अपील को दायर करने के लगभग नौ साल बीत चुके हैं। अतः यह वर्तमान अपील को विशेष अनुमति द्वारा दायर अपील के रूप में माना जाता है। [110 - बी-ई-एफ-जी]

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 11-ए (1) के तहत और नमक के तहत परिकल्पित सूचना चार शर्तों में से किसी एक के तहत जारी किया जा सकता है; (i) जब वस्तु पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है; (ii) जब ऐसा शुल्क कम लगाया गया है; (iii) जब ऐसा शुल्क लगाया गया है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया है; या (iv) जब ऐसा शुल्क लगाया

गया था तो केवल कम भुगतान किया गया था। यदि उपरोक्त में से कोई एक शर्त मौजूद है, उसमें विचार की गई सूचना जारी की जा सकती है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर को अपीलार्थी को सूचना जारी करने से रोका गया था इस मामले में क्योंकि उच्च न्यायालय ने विभाग को "बोर्ड के निर्देशों की विषय-वस्तु को प्रभावी बनाने" से रोक दिया था। बोर्ड के उक्त निर्देश का उद्देश्य मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर के साथ-साथ उनके अधीन अन्य अधिकारियों द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय कुछ कदम उठाने के लिए और ऐसी शक्तियों का लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्रत्यायोजन करने के लिए किया जाना था। यदि उक्त परिपत्र (या निर्देश) बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया होता, तब भी कलेक्टर नोटिस जारी कर सकते थे। यदि ऐसा है, तो न्यायालय के आदेश द्वारा परिपत्र का निलंबन कलेक्टर को नोटिस जारी करने से नहीं रोकता। अदालत के आदेश का प्रभाव केवल परिपत्र को निलंबित अवस्था में रखने के लिए था जहां तक अपीलार्थी का संबंध था और इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए धारा 11-ए (1) का स्पष्टीकरण आकर्षित नहीं करता है। [113 - डी-एफ]

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लिमिटेड बनाम भारत संघ,
(1987) 32 ईएलटी 234; राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य, [1964] 1

एस. सी. आर. 897 और जवाहरमल बनाम राजस्थान राज्य, [1966] 1 एस. सी. आर. 890, संदर्भित।

3.1 . इस न्यायालय के पास विवादित निर्णय से उत्पन्न होने वाले सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने की शक्ति है और सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 22 जैसे स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, यह न्यायालय सुनवाई में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया तैयार कर सकता है। इसलिए, उत्तरदाताओं को इस अपील में विवादित निर्णय में निहित निष्कर्ष के उनके पक्ष में होने के बावजूद उसे वापस लेने के लिए प्रचार करने से नहीं रोका जा सकता है। [114-एफ; 115-बी]

रमनभाई आशाभाई पटेल बनाम दाभी अजितकुमार फुलसिंजी, [1965] 1 एस सी आर 712 पर निर्भर।

वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंद्र, [1955] 1 एस. सी. आर. 509 और बाबू राम बनाम प्रसन्नी, [1959] एससीआर 1403, का उल्लेख किया गया है।

3.2 . हालांकि, गुण-दोष पर उठाए गए तर्कों पर विचार करने पर उस बिंदु पर, यह मानना संभव नहीं है कि एक अस्थायी मूल्यांकन था। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. जी. ए. टी.) ने इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के कुछ कारणों की पुष्टि की है विवादित फैसले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9-बी का हवाला दिया गया है। नियम का शीर्षक "अनंतिम मूल्यांकन" है

जिसमें स्थितियों का विवरण है जब अंतिम मूल्यांकन किया जा सकता है। सी. ई. जी. ए. टी. ने अपने फैसले में विभाग द्वारा की गई कुछ दोष-स्वीकृति इंगित की हैं कहा कि जैसे कि नियम 9 के तहत आवश्यक अनंतिम मूल्यांकन के किसी भी स्पष्ट आदेश का अभाव, अनंतिम मूल्यांकन करने के लिए किसी भी परिस्थिति का अभाव और यह कि कारण दर्शाएँ नोटिस में यह नहीं कहा गया था कि संबंधित अवधि के दौरान किया गया मूल्यांकन अनंतिम था। सहायक कलेक्टर ने मूल्यांकन को केवल इस आधार पर अनंतिम माना था कि मामला उप न्यायाधीशों का था और इसलिए "संबंधित अवधि के लिए सभी आंकलनों को अस्थायी बना दिया गया है। " सी. ई. जी. ए. टी. ने सही पाया है कि उक्त पैमाना मूल्यांकन को अस्थायी बनाने के लिए शायद ही पर्याप्त था। [115 - सी-ई]

4. राजस्व के इस तर्क के संबंध में कि अध्याय VII -ए के प्रावधानों को देखते हुए केंद्रीय उत्पाद नियम और विशेष रूप से नियम 173 -एफ नियमों विचाराधीन मूल्यांकन एक अनंतिम था, यह एक तथ्य है कि ऐसा रुख इसके द्वारा कभी अपनाया नहीं गया। यह कहना एक बात है कि प्रत्यर्था, विपरीत पक्ष द्वारा दायर अपील में, प्राप्त निष्कर्ष को उलटने के लिए पुनर्विचार कर सकता है। निर्णय में उसके विरुद्ध, (वह कार्यात्मक भाग जिसका प्रतिवादी अब समर्थन कर रहे हैं) और उत्तरदाताओं को इसके लिए बिल्कुल नए आधार रखने की अनुमति देना एक अलग बात है। इसलिए

आगे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई आत्म-मूल्यांकन किया गया था। अनंतिम [1998] 2 एस. सी. आर. की याचिका के संबंध में सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा किए गए निष्कर्ष को बाधित करना संभव नहीं है। [116- डी- ई]

सेराई केला ग्लास वर्क्स (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, (1997)91 ई. एल. टी. 497, संदर्भित।

5.1 . केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधान समय के विस्तार की अनुमति अनुभाग में ही प्रदान की गई लोच से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, सीमा अवधि को और बढ़ाने के लिए धारा 11-ए में परिकल्पित संभाव्यता होनी चाहिए सख्ती से समझाया गया। [113 - ए]

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1987) 32 ई. एल. टी. 234, पर निर्भर।

5.2 . नोटिस जारी करने के लिए दिए गए समय से किसी भी अवधि का बहिष्करण जिसका अधिनियम की धारा 11-ए में विचार किया गया है, उसका उल्लेख उस स्पष्टीकरण में किया गया है जिसे उस धारा के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। यथा-स्थिति की अवधि यदि "अदालत के आदेश द्वारा नोटिस की सेवा पर रोक लगा दी गई है" तो इसे बाहर रखा जा सकता है। इसके विपरीत यह है कि यदि नोटिस की सेवा पर कोई रोक नहीं है, तो इस स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा की

अवधि से किसी भी समय को बाहर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि बहुत सख्त व्याख्या दी जाती है, तो नोटिस पहले जारी किया जाना चाहिए था रोक का आदेश पारित करने से ताकि नोटिस की सेवा को अवरुद्ध किया जा सके। लेकिन व्याख्या की रूपरेखा को समझने के लिए इस तरह का चरम दृष्टिकोण आवश्यक नहीं है। [111 - एच; 112-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1735-36/1989

1988-डी के ए. नंबर, ई/2353-54 में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण(नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 31-1-89 से

जोसेफ वल्लापल्ली, सुश्री अमिता मित्रा और सुश्री जूही एम/एस जे. बी. डी. एंड कंपनी अपीलार्थी के लिए।

एम. गौरी शंकर मूर्ति और एस. डी. शर्मा (वी. के. वर्मा) पी. परमेश्वरन उत्तरदाता के लिए

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

थॉमस, न्यायाधिपति।

इस अपील में मुख्य बिंदु यह है: क्या अवधि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 11ए में कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने के लिए परिकल्पित छह महीने की अवधि को आगे किसी भी तरह बढ़ा दिया गया था ताकि अवधि राजस्व सीमा की बाधा को

पार कर सके? प्रत्यर्थी (राजस्व) ने इस याचिका के समर्थन में दो वैकल्पिक परिसरों को आगे बढ़ाया कि छह महीने की उक्त अवधि बढ़ा दी गई है। पहला यह है कि केवल एक अनंतिम मूल्यांकन था और इसलिए कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए 'प्रासंगिक तिथि' को केवल अंतिम मूल्यांकन से गिना जा सकता है। दूसरा यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 12.8.1981 पर जारी स्थगन का आदेश वस्तुतः कारण बताएँ नोटिस जारी करने के खिलाफ एक लगाम के बराबर था और इसलिए यह अवधि उस पूरे समय तक बढ़ा दी गई जब स्थगन आदेश लागू था।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. जी. ए. टी.-इसके बाद संक्षिप्त नाम) ने माना कि मूल्यांकन अस्थायी नहीं था और इसलिए पहला आधार राजस्व के लिए उपलब्ध नहीं था। लेकिन यह 2 :1 के बहुमत से आयोजित किया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांकित 12.8.1991 का अंतरिम आदेश वस्तुतः एक रोक के रूप में संचालित था, कारण बताए जाने के मुद्दे के खिलाफ। हालांकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। इसलिए लगाए गए उत्पाद शुल्क की राशि की वसूली के लिए कोई सीमा नहीं थी। इस प्रकार, सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा राजस्व को शुल्क की वसूली के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। सी. ई. जी. ए. टी. के उक्त आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

जिन तथ्यों के कारण उपरोक्त प्रश्न की शुरुआत हुई, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: अपीलार्थी के पास एक कपड़ा मिल है जिसमें विभिन्न विभाजन हैं जिनके बीच विभाजन जहां धागा बनाया जाता है, अन्य विभाजनों से अलग है। सूत का उपयोग कपड़े के निर्माण में किया जाना है जो अपीलार्थी की कपड़ा मिल का अंतिम उत्पाद है। धागे को संयुक्त कपड़ा मिल में एक मध्यवर्ती स्तर पर प्राप्त किया जाता है और कपड़े बनाने के लिए मिल में आगे संसाधित किया जाता है। राजस्व के अनुसार, कारखाने के एक क्षेत्र से धागे को हटा दिया जाता है और इसलिए वह वस्तु केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 और 49 के अनुसार उत्पाद शुल्क के लिए उपयुक्त है, चाहे उत्पाद शुल्क कुछ भी हो। विभाग ने 6.11.1980 से 31.3.1981 तक की अवधि के लिए धागे पर उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 11 ए के तहत दो नोटिस जारी किए। अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करते हुए विभाग के उपरोक्त निर्देश को चुनौती दी और असहमति को दिनांक 16-10-1980 के निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। विभाग ने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर की। जब अपील लंबित थी तो विभाग ने दो नोटिस जारी किए अधिनियम की धारा 11 ए के तहत यार्न पर 6-11-1980 से 31-3-1981 तक उत्पाद शुल्क वसूली के लिए। हालांकि, विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 और 49 में संशोधन करते हुए एक एहतियाती कदम के रूप में 20.2.1982 पर एक अधिसूचना जारी की, जिससे कारखाने के भीतर

मध्यवर्ती चरण पर इनपुट वस्तुओं को "मानित निष्कासन" की कल्पना पैदा हो गई। उस संशोधन को बाद में वित्त अधिनियम 1982 की धारा 51 (2) (डी) के माध्यम से एक विधायी अधिनियम में भी शामिल किया गया, जिसके द्वारा इसे 1944 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त संशोधनों को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में और बाद में इस न्यायालय में चुनौती दी गई इसकी वैधता में कोई बाधा नहीं आई देखें जे .के. स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ (32) ई. एल. टी. 1987 . 234-एआईआर (1987) एससी 191। इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उस निर्णय में नियम 9 और 49 में संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा वित्त अधिनियम 1982 की धारा 51 के अनुसार प्रावधानों को पूर्वव्यापीता दी गई।

तथापि, निर्धारिती की आशंका को दूर करने के लिए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 और 49 के लिए लंबे समय तक पूर्वव्यापीता को दी गई न्यायिक अनिवार्यता उन्हें असहनीय वित्तीय बोझ के लिए प्रेरित करेगी, उनके प्रभुत्वों ने एक शर्त रखी कि पूर्वव्यापी प्रभाव "अधिनियम की धारा 11 ए के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए"।

इस स्तर पर अधिनियम की धारा 11-ए को पढ़ना फायदेमंद है:

"11 ए. शुल्कों की वसूली जो नहीं लगाए गए या भुगतान नहीं किए गए या

कम लगाए गए या अल्पकालिक भुगतान या गलती से धनवापसी। जब कोई उत्पाद शुल्क नहीं है लगाया गया है या भुगतान किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से, तो एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, छह महीने के भीतर संबंधित तिथि से, उस व्यक्ति को जिसे शुल्क देना है नोटिस दे सकता है शुल्क बाबत जो नहीं लगाया गया है या सहायता नहीं दी गई है या जो कम लगाई गई है या अल्प-भुगतान या जिसे गलती से धन वापसी की गई है, जिसके लिए आवश्यकता है उसे कारण दिखाने की कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए।

बशर्ते कि जहां कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया हो या कम लगाया गया या कम भुगतान किया गया या गलत तरीके से भुगतान से बचने के इरादे से धोखाधड़ी, मिलीभगत या जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को दबाकर या अधिनियम के किसी प्रावधान के या इसके तहत बनाए गए नियमों के उलंघन शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से, ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा तो इस उप-धारा के प्रावधान प्रभावी होंगे, जैसे कि "छह महीने" शब्दों के लिए "पाँच वर्ष" शब्द को प्रतिस्थापित किया गया।

स्पष्टीकरण-जहाँ अदालत के आदेश द्वारा सूचना की सेवा पर रोक लगा दी जाती है, इस तरह की रोक की अवधि को गणना में बाहर रखा जाएगा छह महीने या पांच साल की उपरोक्त अवधि, जैसा भी मामला हो।

(2) व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, जिनको उपधारा (1) के तहत नोटिस दिया जाता है यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, देय उत्पाद शुल्क की राशि निर्धारित करते हैं जो ऐसे व्यक्ति पर बकाया है (सूचना में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होना) और उसके बाद ऐसा व्यक्ति इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए।

(i) "धन वापसी" में भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क या भारत में निर्मित निर्यात होने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाले माल पर उत्पाद शुल्क की छूट शामिल है।

(ii) "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है -

(ए) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है।

(ए) जहां इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत एक मासिक विवरणी, जिसमें उस महीने के दौरान हटाए गए उत्पाद शुल्क योग्य समान पर उत्पाद शुल्क के भुगतान का विवरण दिखता है जो उक्त रिटर्न से संबंधित है, एक निर्माता या प्रभारी या एक गोदाम के एक लाइसेंसधारी द्वारा दायर किया जाना है, जैसा भी मामला हो, उस तारीख को जिस पर इस तरह की रिटर्न दायर की जाती है;

(बी) जहां उपरोक्त के रूप में कोई मासिक विवरणी दाखिल नहीं की जाती है, अंतिम तिथि जिस पर उक्त नियमों के तहत ऐसी विवरणी दाखिल की जानी है;

(सी) किसी अन्य मामले में, वह तिथि जिस पर शुल्क का भुगतान किया जाना है इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत;

(बी) ऐसे मामले में जहां इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उत्पाद शुल्क का अस्थायी रूप से आकलन किया जाता है, उसके अंतिम मूल्यांकन के बाद शुल्क के समायोजन की तारीख,"

इस प्रकार इसकी उप-धारा (1) में परिकल्पित छह महीने की अवधि को केवल तीन संभावनाओं के तहत बढ़ाया जा सकता है। पहला है, यदि लेवी की हानि किसी भी धोखाधड़ी, मिलीभगत या जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने या तथ्यों को दबाने के कारण होती है, छह महीने की अवधि को पांच साल तक बढ़ाया जाएगा। दूसरी संभावना यह है कि यदि मूल मूल्यांकन अनंतिम था, तो इस मामले में अवधि अंतिम मूल्यांकन की तिथि से ही शुरू होगी। तीसरा यह है कि यदि शुल्क देने वाले व्यक्ति को कारणदर्शक नोटिस की सेवा पर अदालत द्वारा रोक लगा दी जाती है, तो इस मामले में रोक की पूरी अवधि को उपरोक्त सीमा समय की गणना से बाहर रखा जाएगा। ऊपर वर्णित पहली संभावना तथ्यों पर लागू नहीं होती है इस मामले में और इसलिए उस पर चर्चा को आसानी से छोड़ दिया जा सकता है। दूसरी आकस्मिकता के संबंध में, हालांकि विभाग ने अनुरोध

किया कि केवल अस्थायी मूल्यांकन किया गया था, उस याचिका को सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा सहायक कलेक्टर के साथ-साथ कलेक्टर (अपील) द्वारा किए गए निष्कर्ष को उलटते हुए खारिज कर दिया गया था। यह तीसरी आकस्मिकता है जिस पर वैकल्पिक रूप से राजस्व निर्भर हुआ जिस पर सी. ई. जी. ए. टी. से सुरक्षित अनुमोदन था।

इससे पहले कि हम मामले के गुण-दोष पर विचार करें, इस अपील की स्थिरता के संबंध में हमें राजस्व द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति से निपटना होगा। अपील याचिका में कहा गया है कि अपील दायर की गई अधिनियम की धारा 35 एल(बी) के तहत जो नीचे लिखा है :

"35-एल. सर्वोच्च न्यायालय में अपील :--- एक अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी द्वारा-

(ए) xxx xxx xxx

(बी) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश, जिसके अंतर्गत अन्य चीजों के अलावा, मूल्यांकन के उद्देश्यों" के लिए उत्पाद शुल्क की दर या माल के मूल्य के संबंध में किसी भी प्रश्न के निर्धारण के संबंध में।

हम राजस्व के विद्वान वकील से सहमत हैं कि इस अपील में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न का न तो दर से कोई संबंध है या उत्पाद शुल्क या मूल्यांकन के उद्देश्य से माल के मूल्य से। हो सकता है कि

अपील उपरोक्त धारा के तहत दायर नहीं की जा सकती थी इस मामले के तथ्यों पर।

जो भी हो, हम इस अपील को खारिज करने के लिए तैयार नहीं हैं इस स्तर पर तकनीकी आधार क्योंकि अपीलार्थी उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश की मांग कर सकता था। इस अपील में शामिल प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सभी कागजात उपलब्ध होने के कारण, हम अपीलार्थी को उस उद्देश्य के लिए एक और विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए प्रेरित करना उचित नहीं समझते हैं, विशेष रूप से इस अपील को दायर करने के लगभग नौ साल बीत जाने के कारण। इसलिए हम इस अपील को विशेष अनुमति द्वारा दायर अपील मानते हैं।

अब हम निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न पर आते हैं। दो स्पष्ट अवधियाँ शामिल हैं जिनके बारे में अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 11-ए के तहत प्रतिबंध काम करेगा। पहली अवधि 6.11.1980 और 31.3.1981 के बीच है और दूसरी अवधि 1.4.1981 से 5.12.1981 तक है (बाद की अवधि के बारे में कोई विवाद नहीं है क्योंकि यह निस्संदेह, आता है, धारा 11-क की अवधि के भीतर।

श्री जोसेफ वल्लपल्ली, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि यद्यपि अपीलार्थी ने उपरोक्त दो अवधियों से संबंधित विवाद उठाया (पहली और दूसरी), वह अपने तर्क को

दूसरी अवधि तक सीमित करेगा, जैसा की इस न्यायालय द्वारा इस अपील में केवल दूसरी अवधि के संदर्भ में निर्णय दिए जाने की आवश्यकता है।

राजस्व के अनुसार, नोटिस की सेवा पर रोक थी (कारण बताओ पर जैसा कि 12.8.1981 से अधिनियम की धारा 11-A में परिकल्पित)। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा 24.9.1980 को जारी एक परिपत्र को चुनौती देने वाली अपीलार्थी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित रोक के आदेश के बल पर विवाद किया जाता है। वह परिपत्र बोर्ड द्वारा कथित रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 की व्याख्या में जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर को उस स्थान के अतिरिक्त निर्दिष्ट करने की आवश्यकता थी जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या संसाधित किया जाता है या यदि आवश्यक हो तो उसके अनुरूप परिसरों का निर्माण किया जाता है और स्थान या उत्पादन का अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता होती है और नियम 9 (1) के तहत कलेक्टर की शक्तियों को लाइसेंस प्राधिकारियों को सौंपने की आवश्यकता होती है; और आगे कर निर्धारकों से नई आधार योजनाएं आदि प्रस्तुत करने की मांग करने की आवश्यकता होती है।

अपीलार्थी ने स्थगन आदेश के लिए रिट आवेदन में एक याचिका दायर की थी प्रार्थना (क) के संदर्भ में जिसमें निम्नलिखित अंग शामिल थे:

(i) याचिकाकर्ताओं को अपने कारखाने के भीतर शुल्क भुगतान किए बिना यार्न संसाधित करने की अनुमति पर रोक लगाई जाए। बोर्ड का दिनांक 24.9.1980 का निर्देश; और

(ii) प्रत्यर्थी को बोर्ड का दिनांक 24.9.1980 के निर्देश की विषय-वस्तु को प्रभावी बनाने से रोकना; और

(iii) 6.11.1980 से 31.3.1981 की अवधि से संबंधित 4 और 5 मई 1981 तारीख के नोटिसों के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त प्रार्थना के संबंध में 12.8.1981 को उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया है। राजस्व ने सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष जिस तर्क को पेश किया और जिसे उनके द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया, वह यह है कि दूसरे अंग के अनुसार, रोक लागू हो गई है जो वस्तुतः अधिनियम की धारा 11-ए के तहत नोटिस की सेवा पर रोक लगाने के बराबर था।

नोटिस जारी करने के लिए प्रदान किए गए समय से किसी भी अवधि का बहिष्करण जो अधिनियम की धारा 11-ए में विचार किया गया है जिसका उल्लेख स्पष्टीकरण किया गया है। जो उस धारा के भाग के रूप

में सम्मिलित है। रोक की अवधि बाहर हो सकती है यदि "अदालत के आदेश द्वारा नोटिस की सेवा पर रोक लगा दी गई है"। इसके विपरीत यह है कि यदि नोटिस की सेवा पर कोई रोक नहीं है, तो इस स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा की अवधि से किसी भी समय को बाहर करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अगर बहुत सख्त व्याख्या की जाती है, तो नोटिस जारी किया जाना चाहिए था रोक का आदेश पारित करने से पहले ताकि नोटिस की सेवा को अवरुद्ध किया जा सके। लेकिन स्पष्टीकरण की रूपरेखा को समझने के लिए इस तरह का चरम दृष्टिकोण आवश्यक नहीं है।

इस बात पर विचार करते हुए कि क्या अधिनियम की धारा 11-ए में समय बढ़ाने की अनुमति का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जा सकता है या कि यह एक सख्त निर्माण होना चाहिए, हम सोचते हैं कि यह याद रखना उपयोगी होगा कि इस न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 1982 की धारा 51 के खिलाफ चुनौती का सामना कैसे किया जिसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के संशोधित नियम 9 और 49 को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया। उन प्रावधानों पर जे. के. स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और अन्य के मामले में हमला किया गया था। (सुप्रा) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने के अलावा उन्हें मनमानेपन और अनुचितता के लिए जिम्मेदार ठहराया।

उस मामले में यह तर्क दिया गया था कि अत्यधिक पूर्वव्यापी संचालन एक कर कानून द्वारा निर्धारित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और उस तर्क के समर्थन में, उन अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के इन निर्णयों पर भरोसा किया राज रामकृष्ण और अन्य बनाम बिहार राज्य, [1964] 1 एस. सी. आर. 897 और जवाहरमल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, [1966] 1 एस. सी. आर. 890। पूर्व निर्णय में, इस न्यायालय ने इंगित किया है कि यदि किसी कानून की पूर्वव्यापी विशेषता मनमाना और बोझिल है, तो कानून कायम नहीं रहेगा और कानून के पूर्वव्यापी संचालन की सीमा की तर्कसंगतता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। जे. के. स्पिनिंग एंड वीविंग मिल (उपरोक्त) में अपीलकर्ताओं की आशंका कि विधायी संशोधनों से जुड़ी लंबी पूर्वव्यापीता के परिणामस्वरूप करदाता पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, पर न्यायालय द्वारा गंभीरता से विचार किया गया है और निर्धारिती पर कठिनाई की गंभीरता को कम करके उन प्रावधानों को बचाने का एक तरीका खोजने का प्रयास किया गया था। उस प्रयास के परिणामस्वरूप जे. के. स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स (उपरोक्त) में उन प्रावधानों को निर्धारित समय सीमा धारा 11-ए के अधीन रखते हुए न्यायिक घोषणा की गई।

यदि उक्त सवार को इस न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार लागू नहीं किया गया था जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, (उपरोक्त), मामले में तो इसके अधिकारों को चुनौती देने के मद्देनजर नियम 9 और

49 (संशोधित के रूप में) का क्या होता, अब इसकी फिर से जांच नहीं की जा सकती है। जो भी हो, तथ्य यह है कि नियम 9 और 49 चुनौती से बच गए जब इस न्यायालय ने धारा 11-ए में निर्दिष्ट सीमा तक अपनी जीत दर्ज की। इसलिए सीमा अवधि को खंड में ही आपूर्ति की गई लोच से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, हमारी राय में, आगे के विस्तार के लिए धारा 11-ए में परिकल्पित संभाव्यता सीमा अवधि का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (1) में परिकल्पित सूचना चार शर्तों में से किसी एक के तहत जारी की जा सकती है:

- (i) जब वस्तु पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया हो;
- (ii) जब ऐसा शुल्क कम लगाया गया हो; या
- (iii) जब ऐसा शुल्क, यद्यपि लगाया गया है, का भुगतान नहीं किया गया है; या
- (iv) जब ऐसा शुल्क केवल अल्प-भुगतान किया गया था।

यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई एक मौजूद है, तो उसमें विचार किया गया नोटिस जारी किया जा सकता है। यह स्वीकार करने के लिए एक अत्यंत कठिन प्रस्ताव है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर को इस मामले में अपीलार्थी को नोटिस जारी करने से रोका गया था क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाग को "बोर्ड के दिनांकित 24.9.1980 के निर्देशों की सामग्री को प्रभावी बनाने" से रोक दिया है। बोर्ड के उक्त निर्देश का

उद्देश्य मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर के साथ-साथ उनके अधीन अन्य अधिकारियों द्वारा अधिनियम के नियम 9 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ कदम उठाने और ऐसी शक्तियों को लाइसेंस प्राधिकारियों को सौंपने के लिए पालन करना था। यहाँ परीक्षण यह है कि यदि उक्त परिपत्र (या निर्देश) बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया था, तो क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (1) के तहत नोटिस जारी कर सकते थे। जवाब यह है कि कलेक्टर अभी भी नोटिस जारी कर सकते थे। यदि ऐसा होता, तो अदालत के आदेश से परिपत्र का निलंबन कलेक्टर को नोटिस जारी करने से नहीं रोकता। 12.8.1981 दिनांकित अदालती आदेश का प्रभाव केवल परिपत्र को निलंबित सजीवता रखने के लिए था जहाँ तक अपीलार्थी का सम्बन्ध है और कुछ नहीं।

इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि विभाग ने उस समय के दौरान तीन नोटिस जारी किए जब उपरोक्त आदेश लागू था, इस बात का मजबूत प्रमाण है कि विभाग के अनुसार, अदालत के आदेश द्वारा नोटिस की सेवा पर कोई रोक नहीं थी। न तो किसी ने यह तर्क दिया है और न ही ऐसा कोई तर्क दिया जा सकता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर ने इस तरह के नोटिस जारी करके दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन किया है।

श्री गौरी शंकर मूर्ति, राजस्व के विद्वान वकील ने एक वैकल्पिक तर्क को अपनाया कि सीमा की अवधि को यह मानते हुए बचाया जा सकता है कि कार्रवाई से पहले का मूल्यांकन केवल एक अस्थायी था। बेशक, धारा 11-ए उक्त छह महीने के समय को आगे बढ़ने की अनुमति देती है यदि पूर्ववर्ती मूल्यांकन केवल अनंतिम था जैसा कि धारा 11 ए की उप धारा 3 (ii) (बी) से नोट किया जा सकता है। सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष भी इसी विवाद का आग्रह किया गया था, लेकिन एक विस्तृत चर्चा के बाद इसे खारिज कर दिया गया। इस तरह के प्रतिकूल निष्कर्ष से अप्रभावित, श्री गौरी शंकर मूर्ति ने अनुरोध किया कि राजस्व को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 22 में उल्लिखित सिद्धांत के आधार पर इस अपील में उक्त निष्कर्ष को उलटने के लिए प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोसेफ वल्लपल्ली ने उक्त निष्कर्ष को इस आधार पर फिर से खोलने का विरोध किया कि इस अपील में, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा एक के रूप में माने जाने के बाद भी, केवल अपीलार्थी द्वारा उठाए गए बिंदुओं का प्रचार किया जा सकता है।

वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चांद और अन्य, [1955] 1 एस. सी. आर., 509 मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक प्रतिवादी को अनुमति नहीं दी। उनके खिलाफ पाए गए आधार पर अपील में चुनौती दिए गए निर्णय का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत

विशेष अनुमति द्वारा दायर अपील। अदालत ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधान में अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा दायर अपील के लिए कोई आवेदन नहीं है।

उपरोक्त निर्णय को तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था श्री बारू राम बनाम श्रीमती प्रसन्नी और अन्य, [1959] एस. सी. आर. 1403 जहाँ से इसे असहमति थी। लेकिन रमनभाई आशाभाई पटेल बनाम दाभी अजितकुमार फुलसिंजी और अन्य, [1965] 1 एस. सी. आर. 712, में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के आलोक में पहले उल्लेखित दो मामलों के निर्णयों में अपनाया गया अनुपात अब प्रचलन में नहीं है। संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय के पास विवादित निर्णय से उत्पन्न होने वाले सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने की शक्ति है और आदेश 41, नियम 22, सी. पी. सी. जैसे स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी यह न्यायालय सुनवाई में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया तैयार कर सकता है। पीठ की टिप्पणियां जो अब प्रासंगिक हैं, वे निम्नलिखित हैं:

"कमी को पूरा करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है कि सिविल संहिता जैसे सामान्य कानून के प्रावधानों पर आधारित प्रक्रिया और उन प्रावधानों को अपनाना जो उपयुक्त हों। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आम तौर पर एक पार्टी जिसके पक्ष में

फ़ैसला है जिस फ़ैसले के खिलाफ अपील की गई है, अपील करने के लिए उसे विशेष मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसलिए न्याय पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है की इस न्यायालय को उचित मामलों में ऐसे पक्ष को अनुमति देनी चाहिए उसके पक्ष में निर्णय का समर्थन करने की स्थिति में हो, उन आधारों पर भी जो उस निर्णय में नकार दिए गए थे। इसलिए हमारी राय है कि वशिष्ठ नारायण शर्मा के मामले में इस न्यायालय की शक्तियों के संबंध में लिया गया दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है।"

इसलिए, हम स्वीकार करते हैं कि इस अपील में प्रतिवादियों को आक्षेप में निहित निष्कर्ष को उलटने के लिए प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता है अंतिम परिणाम उनके पक्ष में होने के बावजूद।

हालांकि, गुण-दोष पर उठाए गए तर्कों पर विचार करने पर हम अनंतिम मूल्यांकन का हुआ होना मुश्किल मानते हैं। सी .ई. जी. ए. टी. ने ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ निश्चित कारणों का जिक्र किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम का नियम 9-बी का उद्धरण विवादित निर्णय में किया गया है। नियम का शीर्षक 'अनंतिम मूल्यांकन' है जिसमें उन स्थितियों का विवरण है जिनमें अनंतिम मूल्यांकन किया जा सकता है। सी. ई. जी. ए. टी. ने निर्णय में विभाग के द्वारा की गई कुछ स्वीकारोक्ति इंगित की हैं जैसे नियम 9 -बी के चाहा गया अनंतिम

मूल्यांकन का कोई स्पष्ट आदेश का अभाव, कोई स्थिति का अभाव जब अनंतिम मूल्यांकन करना है और यह कि कारण बताएँ नोटिस में यह नहीं कहा गया था कि संबंधित अवधि के दौरान किया गया मूल्यांकन अनंतिम था। सहायक कलेक्टर ने मूल्यांकन को केवल इस आधार पर अनंतिम माना था कि मामला विचाराधीन था और इसलिए "अप्रैल 1981 से 15.3.1983 की अवधि के लिए सभी आकलनों को अनंतिम बना दिया गया था"। सी. ई. जी. ए. टी. ने सही पाया है कि उक्त पैमाना मूल्यांकन को अस्थायी बनाने के लिए शायद ही पर्याप्त था।

श्री गौरी शंकर मूर्ति ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के उपरोक्त नियम 9-बी के सामने आने वाली कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिए एक नया तर्क अपनाया जो इस प्रकार है:

नियम 9-बी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में 1-8-1959 से शामिल किया गया था, जबकि निर्माताओं द्वारा स्वयं 'सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर' को नियमों में 14.7.1969 से लागू किया गया है, जो एक स्व-मूल्यांकन का प्रावधान करता है, जिसे नियम 173-एफ में बताए अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त प्रक्रिया की शुरुआत के साथ एक स्व-निष्कासन अपने आप में अस्थायी मूल्यांकन के बराबर होगा। तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने सरायकेला ग्लास वर्क्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, पटना (1997) 91 ई. एल. टी. 497 का हवाला दिया जिसमें स्व-मूल्यांकन के निहितार्थ

पर विचार किया गया है और इसे एक अस्थायी मूल्यांकन के अलावा और कुछ नहीं माना गया है जो अंतिम मूल्यांकन के अधीन है।

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जोसेफ वल्लपल्ली ने बताया कि उक्त तर्क के जवाब में, कि धारा 11-ए में निर्दिष्ट अनंतिम मूल्यांकन की अवधारणा का एक अर्थ है जिसका पता नियम 9-बी में लगाया जा सकता है, जिसके लिए अनंतिम मूल्यांकन के लिए एक विशिष्ट आदेश की आवश्यकता होती है और इसका पालन कुछ वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार इस तरह के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में कोई अस्थायी मूल्यांकन नहीं था जैसा कि अधिनियम की धारा 11 ए में परिकल्पित है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी को अपने अस्थायी मूल्यांकन के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए एक नए आधार को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथ्यात्मक पक्ष पर भी, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के दिनांक 16.10.1980 के निर्णय के अनुसार, अपीलार्थी ने मूल्यांकन से संरक्षित रूप से उपभोग किए गए धागे को पूरी तरह से बाहर कर दिया है और इसलिए धागे पर कोई स्व-मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि यह किसी विशेष वस्तु के गैर-लेवी का मामला था, न कि कम शुल्क का। वकील के अनुसार परिणाम यह है कि कोई अस्थायी मूल्यांकन नहीं किया गया था।

यह एक तथ्य है कि राजस्व ने कभी भी स्वयं निष्कासन नियमों के अध्याय VII-ए में परिकल्पित प्रक्रिया का रुख नहीं अपनाया है यह स्थापित करने के लिए कि एक अस्थायी मूल्यांकन था। यह कहना एक बात है कि प्रत्यर्थी, विपरीत पक्ष द्वारा दायर अपील में, निर्णय में अपने खिलाफ पहुंचे निष्कर्ष को उलटने के लिए फिर से प्रचार कर सकता है, (जिस कार्यात्मक भाग का प्रत्यर्थी अब समर्थन कर रहा है) और इसकी अनुमति देना एक अलग बात है कि प्रत्यर्थी इसके लिए बिल्कुल नए आधार प्रस्तुत करे। इसलिए आगे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई स्व-मूल्यांकन किया गया था। इसलिए, हम इस संबंध में सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा किए गए निष्कर्ष को अस्थायी मूल्यांकन के अनुरोध के सम्बन्ध में बाधित करने को राजी नहीं हैं।

नतीजतन, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और विवादित फ़ैसले को दरकिनार कर देते हैं।

हम मानते हैं कि 1.4.1981 और 5.12.1981 के बीच की अवधि के लिए अपीलार्थी से धागे के लिए उत्पाद शुल्क की वसूली अधिनियम की धारा 11-ए में निर्धारित सीमा की अवधि से वर्जित है। इस प्रकार बिना लागत के लिए बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।